[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 31st July, 2009

No. S.O. 67/H.A. 25/2008/Ss. 8, 9 and 10/2009.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana establishes the office of Commissioner of Police (not below the rank of IG) for the said area and the Commissioner as the head of the police force in the Commissionerate of Police, Faridabad with effect from 1st August, 2009;

Further, in exercise of the powers conferred by section 9 of the Haryana Police Act, 2007, the Governor of Haryana hereby makes the orders that for the purpose of administration and supervision of police force, the Commissionerate of Police of Faridabad shall be a Police Range;

Further, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Haryana Police Act, 2007, the Governor of Haryana hereby declares that the Commissionerate of Police of Faridabad shall be divided into the following police districts to be headed by a Deputy Commissioner of Police in the rank of Superintendent of Police, namely:—

Sr. No.	Police District	Area/Jurisdiction
1.	Police District, Central	1. Police Station Central 2. Police Station Sarai Khwaja 3. Police Station Sector-31 4. Police Station Old Faridabad 5. Police Station Bhupani
2.	Police District, New Industrial Township (NIT)	1. Police Station NIT 2. Police Station Suraj Kund 3. Police Station SGM Nagar 4. Police Station Saran 5. Police Station Sector-55 6. Police Station Mujesar 7. Police Station Kotwali
3.	Police District, Ballabhgarh	1. Police Station City Ballabhgarh 2. Police Station Sadar Ballabhgarh 3. Police Station Tigaon 4. Police Station Chhainsa 5. Police Station Sector 7

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Governor of Haryana hereby appoints the officers subordinate to the Commissioner of Police (not below the rank of Deputy Commissioner of Police) as Executive Magistrates for the purposes of section 107 and sections 111 to 122 and section 124 of chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973;

Further, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Governor of Haryana hereby appoints Joint Commissioner of Police to exercise the jurisdiction with regard to sections 3, 15 and 17 of the said Act.

Further, in exercise of the powers conferred by section 83 of the Haryana Police Act, 2007, the Governor of Haryana hereby orders that for the purpose of administration of the police force in the matters relating to appointment, recruitment, promotions and punishment, the Deputy Commissioner of Police (HQ) shall exercise powers and perform functions and duties of the District Superintendent of Police within the entire Commissionerate of Police of Faridabad.

KRISHNA MOHAN,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Home Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 जुलाई, 2009

संख्या का०आ० 67/ह०अ० 25/2008/धा० 8, 9 तथा 10/2009.—हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उक्त क्षेत्र के लिए पुलिस आयुक्त (महानिरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो) के कार्यालय को स्थापित करते हैं तथा पुलिस आयुक्तालय, फरीदाबाद में प्रथम अगस्त, 2009 से आयुक्त पुलिस, बल का मुखिया होगा।

आगे, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007, की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा आदेश करते हैं कि पुलिस बल के प्रशासन तथा पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए पुलिस आयुक्तालय, फरीदाबाद, पुलिस रेंज होगा।

आगे, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007, की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, घोषणा करते हैं कि पुलिस आयुक्तालय, फरीदाबाद निम्नलिखित पुलिस जिलों में विभाजित किया जाएगा, जिसका मुखिया पुलिस अधीक्षक की पदवी में पुलिस उपायुक्त होगा, अर्थात् :—

क्रम संख्या	पुलिस जिला	क्षेत्र/क्षेत्राधिकार
1	पुलिस जिला सैंट्रल	1. पुलिस थाना, सैन्ट्रल 2. पुलिस थाना, सराय खवाजा 3. पुलिस थाना, सैक्टर–31 4. पुलिस थाना, पुराना फरीदाबाद 5. पुलिस थाना, भूपानी
2	पुलिस जिला नया औद्योगिक नगर क्षेत्र (एन०आई०टी०)	1. पुलिस थाना, एन.आई.टी. 2. पुलिस थाना, सूरजकुंड 3. पुलिस थाना, एस.जी.एम. नगर 4. पुलिस थाना, सारन 5. पुलिस थाना, सैक्टर–55 6. पुलिस थाना, मुज्जैसर 7. पुलिस थाना, कोतवाली

1	2	3
3	पुलिस जिला बल्लभगढ़	1. पुलिस थाना, बल्लभगढ़ शहर 2. पुलिस थाना, बल्लभगढ़ सदर 3. पुलिस थाना, तिगॉव 4. पुलिस थाना, छांयसा 5. पुलिस थाना, सैक्टर–7

आगे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2), की धारा 20 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII की धारा 107 तथा धारा 111 से 122 तथा धारा 124 के प्रयोजनों के लिए पुलिस आयुक्त (पुलिस उपायुक्त की पदवी से नीचे का न हो) के अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के रूप में नियुक्त करते हैं ।

आगे, शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3, 15 तथा 17 के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुलिस संयुक्त आयुक्त नियुक्त करते हैं।

आगे, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आदेश करते हैं कि नियुक्ति, भर्ती, पदोन्नति तथा दण्ड से संबंधित मामलों में पुलिस बल के प्रशासन के प्रयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) सम्पूर्ण पुलिस आयुक्तालय, फरीदाबाद के भीतर जिला पुलिस अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा।

कृष्ण मोहन,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113–2022/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 28 जून, 2022
(7 आषाढ़, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 60/के०अ० 54/1959/धा० 2/2022, दिनांक 28 जून, 2022 – हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 67/ह०अ० 25/ 2008/धा० 8, 9 तथा 10/2009, दिनांक 31 जुलाई, 2009 में संशोधन करने बारे।	625–626
भाग IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग—III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जून, 2022

संख्या का०आ० 60/के०अ० 54/1959/धा० 2/2022.— शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम 54), की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 67/ह०अ० 25/2008/धा० 8,9 तथा 10/2009, दिनांक 31 जुलाई, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 67/ह०अ० 25/2008/धा० 8, 9 तथा 10/2009, दिनांक 31 जुलाई, 2009 में ''पुलिस आयुक्त'' शब्दों के स्थान पर, ''पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

राजीव अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 28th June, 2022

No. S.O. 60/C.A. 54/1959/S. 2/2022.— In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Arms Act, 1959 (Central Act 54 of 1959), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana Government, Home Department, Notification No. S.O. 67/H.A. 25/2008/Ss. 8, 9 and 10/2009, dated the 31st July, 2009, namely:–

Amendment

In the Haryana Government, Home Department, Notification No. S.O. 67/H.A. 25/2008/Ss. 8,9 and 10/2009, dated the 31st July, 2009, for the words "Commissioner of Police", the words "Deputy Commissioner of Police, Head Quarter" shall be substituted.

RAJEEV ARORA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.

9719—L.R.—H.G.P., Pkl.